**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 13/2018 (उदयपुर डिक्री)**

लालसिंह पिता स्वर्गीय मोतीसिंह चौहान, निवासी लियो का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 06.08.2012 प्र.सं. 336/10

———/———

उपस्थित :– 1– श्री गोपालदास अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 08–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 63 (4), 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम लियों का गुड़ा में साबिक आराजी नंबर 20 मी. तथा 21 मी. स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 82 रकबा 0.0300 एवं 296 रकबा 0.3400 हैक्टर बने हैं। उक्त भूमि पर वादी का 45 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा काफी मेहनत मजदूरी कर एवं हजारों रूपये खर्च का भूमि को उपजाउ व समतल बनाया है। अतएवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसे खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल राजस्व रेकार्ड में आराजी नंबर 82 किस्म मगरी तथा आराजी नंबर 296 नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। नगर विकास प्रन्यास को वादी ने पक्षकार नहीं बनया है। वादग्रस्त भूमि पेराफेरी ऐरिया में स्थिति है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया साबिक आराजी नंबर 20 मी. तथा 21 मी. के हाल आराजी नंबर 82 रकबा 0.0300 हैक्टर तथा 296 रकबा 0.3400 हैक्टर बने है ?.... वादी
2. आया आराजी नंबर 82 व 296 पर वादी का कब्जा काश्त विगत 45 वर्षो से भी अधिक समय से होने के कारण वादी कब्जा मुखालफत के आधार पर खातेदार घोषित होने की योग्यता रखता है ?.. वादी
3. आया वादग्रस्त आराजी 82 व 296 हाल राजस्व रेकार्ड में नविप्र के नाम से दर्ज है ? ..... प्रतिवादी
4. आया वादग्रस्त आराजी से वादी को समय–समय पर बेदखल कर दिया गया है ? ..... प्रतिवादी
5. दादरसी ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 06–08–2012 से तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–09–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 के सम्बन्ध में पेश शुदा दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया है तथा तनकी नंबर 2 के सम्बन्ध मं भी वादी/अपीलान्ट के कब्जे की साक्ष्यों को अनदेखा कर दिया है। तनकी

नंबर 3 भी प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा साबित नहीं कराये जाने के बावजूद प्रतिकूल निर्णय पारित किया है तथा तनकी नंबर 4 का निर्णय भी विधि विरूद्ध किया है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों तथा धारा 27 कानून मयाद अधिनियम एवं 30 वर्षो के कब्जे के सन्दर्भ में आर.आर.डी. 1991 पेज 1 के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात एवं न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा यह वाद राजकीय भूमि पर खातेदारी चाहते हेतु प्रमुखता आर.आर.डी. 1991 पेज 1 को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसे हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपनी फुल बैंच में निर्णय करते हुए आर.आर.डी. 1991 पेज 1 के विरूद्ध अपना न्यायिक निर्णय 2011 आर.आर.डी. पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम को मान्यता देते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा नहीं किये जाने तथा अपीलों में भी वाद की निरन्तरता मानी जाकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जाने का निर्णय पारित किया है, तद्नुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी जब देय ही नहीं है तो ऐसे प्रकरण स्पष्टतया माननीय राजस्व मण्डल जो की राजस्व मामलों की राज्य की सर्वोच्च न्यायालय होती है तथा जिनके द्वारा पूर्ण पीठ में निर्णय किया गया है। उक्त आदेश की रोशनी में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजकीय भूमि के खातेदारी अधिकार बाबत् प्रस्तुत वाद किसी भी प्रकार से विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–08–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

**लालसिंह पिता स्व. मोतीसिंह चौहान निवासी लियो का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर** बनाम **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर**

अपील नं.....**13/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....08**.....माह.....**06**.....**2012**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**....माह.....**.10**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री गोपालदास**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पंकज भटनागर**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–08–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.08**.....माह.....**.10**.....**2018** को जारी किया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील..... | | |
| मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।